

हो।

↓

06/05/22

पी.ओ. साहब अक्काश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 19.05.22 को पेश हो

Report

19/05/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्राची ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाद सिद्धो विधे जम्मे बाबत प्रस्तुत कर लयन किया कि उक्त इनवानी प्रकटा को वादी आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः बाद वादी विद्धो किया जावे।

7/11/2022
19.5.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद वादी विद्धो की विधे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली विधिनुसार सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से बम हो।

↓

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)